मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, 2001

(मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 20 सन् 2001)[1]

(दिनांक 26 सितम्बर, 2001 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 27 सितम्बर, 2001 को प्रथम बार प्रकाशित की गई।)

मध्यप्रदेश में नगरीय क्षेत्रों के वृक्षों के परिरक्षण तथा पुनः वृक्षारोपण के प्रयोजन के लिए वृक्षों को काटकर गिराने के विनियमन के लिए बेहतर उपबंध करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ** -- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम **मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, 2001** है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषाएँ** -- इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) **"अपील प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है कोई प्राधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है;

(ख) **"वृक्ष"** से अभिप्रेत है कोई ऐसा काष्ठिय पौधा जिसकी शाखाएं तने या काय से निकली हैं तथा जो तने या काय पर आलंबित हों और जिसके तने या काय का व्यास भूमि तल पर 30 से.मी. से कम न हो तथा जिसकी ऊंचाई भूमि तल से 2 मीटर से कम न हो;

(ग) **"वृक्ष काट कर गिरना"** से इसकी सजातीय अभिव्यक्ति से अभिप्रेत है तने को जड़ों से पृथक् करना, वृक्ष को जड़ों से उखाड़ना तथा इसमें सम्मिलित है वृक्ष पर बुल्डोजर चलाना, वृक्ष काटना, घिरान करना, ठूंठ करना, उस पर विषैला पदार्थ लगाकर, उसे जला कर या किसी अन्य रीति में उसे क्षति पहुंचाना;

(घ) **"वृक्ष अधिकारी"** से अभिप्रेत है कोई ऐसा अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उस रूप में नियुक्त किया गया हो;

(ङ) **"नगरीय क्षेत्र"** से अभिप्रेत है किसी नगरपालिक निगम/नगरपालिका/कैंटोनमेंट बोर्ड या नगर पंचायत के भीतर के समस्त स्थान;

(च) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इस अधिनियम में प्रयोग में लाई गई हैं, और भारतीय वन अधिनियम, 1927 में परिभाषित की गई है, किन्तु इस अधिनियम में परिभाषित नहीं की गई है, क्रमशः वे ही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में उनके लिए दिए गए हैं।

3. **वृक्षों को काटकर गिराने बाबत निर्बंधन** -- कोई भी व्यक्ति तत्समय प्रवृत्त किसी रूढ़ि, प्रथा, संविदा या स्थानीय विधि के होते हुए भी, उस नगरीय क्षेत्र के भीतर स्थित किसी भूमि में, चाहे वह उसके

1. मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 27 दिसम्बर, 2001 में प्रकाशित।

स्वामित्व में की हो या उससे भिन्न प्रकार की हो, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बिना अनुज्ञा के किसी वृक्ष को काटकर नहीं गिराएगा या वृक्ष को कटवाकर नहीं गिरवाएगा।

4. **वृक्ष अधिकारी की नियुक्ति** -- राज्य सरकार, प्रत्येक नगरीय क्षेत्र के लिए एक या एक से अधिक ऐसे वन अधिकारियों को जो राजपत्रित वन अधिकारी से निम्न श्रेणी के न हों, आयुक्त नगर निगम या मुख्य नगरपालिका अधिकारी को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए "वृक्ष अधिकारी" के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

5. **अन्य अधिकारियों की नियुक्ति** -- राज्य सरकार, वन विभाग या स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अधिकारियों तथा कर्मचारियों को, जिन्हें वह आवश्यक समझे, समय-समय पर नियुक्त कर सकेगी जो वृक्ष अधिकारी के अधीनस्थ होंगे।

6. **वृक्ष को काटकर गिराने, काटने, हटाने या उसका व्ययन करने के लिए अनुज्ञा अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया** -- (1) किसी वृक्ष को काटकर गिराने या हटाने या उसका अन्यथा व्ययन की वांछा करने वाला कोई भी व्यक्ति संबंधित वृक्ष अधिकारी को, अनुज्ञा के लिए ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी विशिष्टयां अन्तर्विष्ट करते हुए तथा ऐसे दस्तावेज के साथ, जो कि विहित किए जाएं, आवेदन करेगा।

(2) ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर, वृक्ष अधिकारी आवेदन की अभिस्वीकृति देगा तथा आदेश द्वारा उस वृक्ष का निरीक्षण करने तथा ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर या तो ऐसी अनुज्ञा पूर्णतः या भागतः दे सकेगा या लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अनुज्ञा देने से इंकार कर सकेगा :

परन्तु कोई अनुज्ञा उस क्षेत्र से किसी व्यक्ति को उसी वर्ष के दौरान दो अवसरों से अधिक नहीं दी जाएगी :

परन्तु यह और कि कोई भी ऐसी अनुज्ञा देने से उस दशा में इंकार नहीं किया जाएगा जबकि वह :-

(एक) वृक्ष मृत है, रोगग्रस्त है या हवा से उखड़ा हुआ है; या

(दो) वृक्ष जीवन और सम्पत्ति के लिए खतरा बन जाता है; या

(तीन) वृक्ष अग्नि से, बिजली से, वर्षा से या अन्य प्राकृतिक कारणों से सारतः नुकसानग्रस्त या नष्ट हो गया है; या

(चार) यातायात के लिए बाधा बन जाता है या यदि ऊर्जा/दूरभाष की लाइनों आदि के अनुरक्षण के लिए आवश्यक है।

(3) उपधारा (2) के अधीन दी गई अनुज्ञा इस शर्त के अध्यधीन हो सकेगी कि आवेदक उसी स्थल पर या परिसर पर जैसा कि विहित किया जाए, उसी जाति या अन्य उपयुक्त जाति का कोई अन्य वृक्ष या वृक्षों को लगाएगा और जहां ऐसा संभव नहीं हो, वहां वह उस तारीख से जिसको कि वृक्ष काट कर गिराया गया हो, तीस दिन के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई कालावधि के भीतर जैसा कि वृक्ष अधिकारी अनुज्ञात करे, ऐसा योगदान करेगा जैसा कि विहित किया जाए।

(4) यदि वृक्ष अधिकारी उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर विनिश्चय की संसूचना देने में असफल रहता है तो आवेदित अनुज्ञा के संबंध में यह माना जाएगा कि वह दे दी गई है।

7. **वृक्षों का परिरक्षण** -- आवेदक का यह कर्तव्य होगा कि वह धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन किए गए आदेश का अनुपालन करे और यह सुनिश्चित करे कि वृक्ष भली-भांति उगे और उसका भली भांति परिरक्षण किया जा रहा है।

8. धारा 6 के अधीन किए गए आदेश का क्रियान्वयन -- (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 6 के अधीन किए गए किसी आदेश के अधीन वृक्ष लगाने के लिए बाध्यताधीन है, यथास्थिति, आदेश या निदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रारंभिक कार्य (तैयारी) शुरू करेगा और ऐसे आदेश या निदेश के अनुसार आगामी या अनुगामी वर्षा ऋतु में या ऐसे बढ़ाए गए समय के भीतर जैसा कि वृक्ष अधिकारी अनुज्ञात करे, वृक्ष लगाएगा तथा उन वृक्षों को जो किसी भूमि या क्षेत्र में लगाए गए हैं, किसी नुकसान से पर्याप्त एवं प्रभावी संरक्षण व्यवस्था करेगा।

(2) ऐसे व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम की दशा में, वृक्ष अधिकारी वृक्ष लगवा सकेगा और वृक्षारोपण की लागत की वसूली ऐसे व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया के तौर पर कर सकेगा।

9. अपील -- (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपील प्राधिकारी होंगे।

(2) जब वृक्ष अधिकारी द्वारा धारा 6 एवं 7 के अधीन कोई विनिश्चय या कोई आदेश किया जाता है, तो वृक्ष अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति वृक्ष अधिकारी द्वारा ऐसे आदेश या निदेश के पारित किए जाने से तीस दिन की कालावधि के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।

(3) अपील प्राधिकारी, अपील प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन के भीतर अपील का विनिश्चय, अपीलार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् करेगा।

अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना

अधिसूचना क्रमांक 51-एफ-4-8-2009-09-अठारह-3 दिनांक 17 फरवरी, 2009 -- मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, 2001 की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, निम्नांकित अधिकारियों को **अपीलीय अधिकारी नियुक्त** करता है :-

(1)	संभागीय आयुक्त	-	नगरपालिक निगमों के लिए
(2)	कलेक्टर	-	संबंधित नगरपालिका/नगर पंचायत के लिए।

[म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 17-2-2009 पृष्ठ 121 पर प्रकाशित।]

---

10. संपत्ति का अभिग्रहण -- जहां वृक्ष अधिकारी या किसी वन अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि किसी वृक्ष के संबंध में इस अधिनियम के अधीन अपराध किया गया है, तो वह यथास्थिति वृक्ष या उसके भाग को जो भूमि या तने से पृथक् किया गया है, गिराए जाने के लिए उपयोग में लाए गए औजार तथा उपकरण सहित अभिग्रहण कर सकेगा। जब वन अधिकारी द्वारा अभिग्रहण किया जाता है तो वह वृक्ष अधिकारी को मामला आगे कार्रवाई के लिए अग्रेषित करेगा।

11. धारा 10 के अधीन अभिगृहीत संपत्ति को निर्मुक्त करने की शक्ति -- वृक्ष अधिकारी धारा 10 के अधीन अभिगृहीत संपत्ति को निर्मुक्त कर सकेगा, यदि भूमि के स्वामी ने जब कभी अपेक्षित हो, ऐसे प्ररूप में बंध पत्र, निष्पादित कर दिया हो जैसा कि प्रस्तुत करने के लिए विहित किया जाए।

12. इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी, औजार आदि कब अधिहरण के दायित्वाधीन होंगे -- (1) समस्त इमारती लकड़ी या जलाऊ लकड़ी जो कि राज्य सरकार की संपत्ति नहीं है तथा जिसके कि संबंध में इस अधिनियम के अधीन अपराध किया गया है, और ऐसे अपराध को करने में उपयोग में लाए गए समस्त पशु, औजार, नाव, यान, रस्से, चेन या कोई अन्य सामग्री धारा 9, 11 तथा 17 के उपबंधों के अध्यधीन रहते

हुए, ऐसे अपराध के लिए अपराधी को सिद्धदोष ठहराए जाने पर, अधिहरण के दायित्वाधीन होंगे। ऐसा अधिहरण ऐसे अपराध के लिए विहित किसी अन्य दण्ड के अतिरिक्त हो सकेगा।

(2) वृक्ष से उत्पादित कोई इमारती लकड़ी, औजार तथा उपकरण आदि और उपधारा (1) के अधीन अधिहत कोई नाव, पशु या अन्य प्रवहरण का न्यायालय द्वारा ऐसी रीति में व्ययन किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए।

13. संगठनों द्वारा अपराध -- (1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला कोई व्यक्ति संगठन है, वहां वह संगठन तथा उस अपराध के किए जाने के समय उस संगठन के कारबार के संचालन का भारसाधक और संगठन के प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार वह अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह बात साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किये जाने को रोकने के लिए समस्त सम्यक् तत्परता बरती है।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन अपराध किसी संगठन द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध उस संगठन/यूनिट के प्रमुख, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबंधक या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां संगठन/यूनिट का प्रमुख, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबंधक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार वह अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

14. अपराध के किये जाने को रोकने की शक्ति -- प्रत्येक वृक्ष अधिकारी या उसका अधीनस्थ या कोई वन, राजस्व या पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को किए जाने से रोकेगा तथा अपराध के किये जाने से रोकने के प्रयोजन के लिए हस्तक्षेप कर सकेगा।

15. अपराध शमन करने की शक्ति -- (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, वृक्ष अधिकारी या किसी वन अधिकारी को, जो संभागीय वन अधिकारी से निम्न श्रेणी का न हो, किसी व्यक्ति से, जिसके विरुद्ध विश्वास करने का कारण है कि उसने किसी वृक्ष के संबंध में इस अधिनियम के अधीन अपराध किया है, उस अपराध के लिए जिसे ऐसे व्यक्ति द्वारा किए जाने का संदेह है, शमन के रूप में ऐसी धनराशि, जो कि विहित की जाए, स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी।

(2) यथास्थिति, ऐसी राशियों या ऐसे मूल्य या दोनों का ऐसे अधिकारी को संदाय करने पर अभिगृहीत संपत्ति तथा अपराधी, यदि अभिरक्षा में है, निर्मुक्त किया जाएगा तथा ऐसे अपराधी या संपत्ति के विरुद्ध और कार्यवाही नहीं की जाएगी।

16. अधिनियम के उल्लंघन की रिपोर्ट कतिपय व्यक्तियों द्वारा की जाएगी -- प्रत्येक वन अधिकारी, लोक सेवक या किसी व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि धारा 3 के किसी उल्लंघन तथा ऐसा उल्लंघन करने की तैयारी की उसकी जानकारी की सत्यता वृक्ष अधिकारी को तुरन्त दे।

17. धन के संदाय के आदेश का निष्पादन -- कोई राशि, जिसका किसी व्यक्ति द्वारा संदाय किया जाना निर्देशित किया गया है तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन वसूली के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह उससे भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूलीय होगी।

18. शास्ति -- जो कोई इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों या किए गए आदेशों के उल्लंघन में किसी वृक्ष को गिराएगा या गिरवाएगा वह दोषसिद्धि पर कारावास से जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। जुर्माना यदि विहित समय के भीतर जमा नहीं किया जाता है तो वह भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूलीय होगा।

19. इस अधिनियम के अधीन व्यक्तियों का लोक सेवक होना -- इस अधिनियम के अधीन शक्ति का प्रयोग या किन्हीं कर्त्तव्यों या कृत्यों का निर्वहन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का संख्यांक 45) की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक हैं।

20. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण -- इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिये या किसी ऐसी बात के लिए जो की जाने से छोड़ दी गई हो, राज्य सरकार या किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अधीन शक्ति का प्रयोग, कर्त्तव्यों का पालन या कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधि कार्यवाही नहीं होगी।

21. वृक्षों के परिरक्षण के लिए राज्य सरकार की शक्ति -- (1) राज्य सरकार, जन सामान्य के हित में, अधिसूचना द्वारा, घोषणा कर सकेगी कि वृक्षों के किसी वर्ग को ऐसी कालावधि तक काटकर नहीं गिराया जाएगा जैसी कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है।

(2) ऐसे वृक्षों का प्रबंधन विहित रीति में विनियमित किया जाएगा।

22. वृक्ष अधिकारी को कतिपय शक्तियां विनिहित करना -- राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, वृक्ष अधिकारियों तथा अन्य अधिकारी को समस्त या निम्नलिखित में से कोई शक्ति विनिहित कर सकेगी, अर्थात् :-

(क) किसी भूमि पर प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण, सीमांकन करने तथा उसका मानचित्र (नक्शा) बनाने की शक्ति;

(ख) इस अधिनियम के अधीन अपराध की जांच करने तथा ऐसी जांच के अनुक्रम में साक्ष्य ग्रहण करने तथा अभिलिखित करने की शक्ति।

23. गिराई गई सामग्री का अभिवहन -- भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का संख्यांक 16) की धारा 41 तथा 42 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन गिराए गए वृक्षों के अभिवहन पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

24. नियम बनाने की शक्ति -- (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे।

मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) नियम, 2002

[1]**क्रमांक एफ-30-4-2001-दस-3, दिनांक 11 अप्रैल, 2002** -- मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, 2001 (क्रमांक 20 सन् 2001) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में वृक्षों के परिरक्षण तथा पुनः वृक्षारोपण के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ -- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम **मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) नियम,** [2]**[2002]** है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है।

(3) ये नियम, "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इनके प्रकाशन की तारीख से राज्य के समस्त नगरीय क्षेत्रों में लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ -- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, 2001 (क्रमांक 20 सन् 2001);

(ख) **"वन अधिनियम"** से अभिप्रेत है भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16);

(ग) **"धारा"** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;

(घ) **"अभिवहन नियम"** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000।

3. अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के लिए प्रक्रिया -- (1) किसी वृक्ष (वृक्षों) को काटकर गिराने, हटाने, जड़ से उखाड़ने या तने को जड़ से पृथक् करने या किन्हीं भी साधनों से उसके व्ययन की वांछा करने वाला कोई भी व्यक्ति संबंधित नगरीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले वृक्ष अधिकारी को प्ररूप एक में, प्रति आवेदन रुपए 100/- प्रोसेसिंग फीस के साथ आवेदन करेगा। आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज होंगे :-

(क) उस भूमि के ब्यौरे, जहां वृक्ष खड़ा है (खसरा क्रमांक, प्लाट क्रमांक, वार्ड क्रमांक आदि स्थान के मानचित्र के साथ);

(ख) भूमि के स्वामित्व का सबूत या पट्टा दस्तावेज अथवा कोई अन्य दस्तावेज, जिनसे यह साबित हो सके कि आवेदक ने प्रश्नाधीन भूमि में स्वामित्व संबंधी अधिकार प्राप्त कर लिया है;

(ग) वृक्ष (वृक्षों) के ब्यौरे - जाति, ऊंचाई आधारित भाग पर गोलाई वृक्ष की दशा - (स्वस्थ, रोगग्रस्त, मृतप्राय, मृत, नुकसानग्रस्त, हवा से उखड़ा हुआ, घिसन किया हुआ अथवा किसी अन्य विशिष्टता के साथ);

(घ) क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए वचनबंध (अंडरटेकिंग)।

(2) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन दी गई अनुज्ञा इस शर्त के अध्यधीन होगी कि आवेदक उसी स्थल पर या परिसर पर, उसी जाति या अन्य उपयुक्त जातियों का दूसरा वृक्ष या वृक्षों को लगाएगा और जहां यह संभव नहीं हो, वहां वह उस तारीख से, जिसको, वृक्ष काटकर गिराया गया हो, 30 (तीस) दिन के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई कालावधि के भीतर, जैसा कि वृक्ष अधिकारी अनुज्ञात करे, रुपए 500/- प्रति वृक्ष नगद अभिदाय करेगा।

---

1. मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 4-ग दिनांक 19 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित।
2. मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 19-8-2003 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 38-एफ-1-52-03-18-3 दिनांक 19-8-2003 द्वारा प्रतिस्थापित।

4. धारा 10 के अधीन अभिगृहीत संपत्ति को निर्मुक्त करने की शक्ति -- यदि भूमि का स्वामी, प्ररूप-दो में बंधपत्र (बांड) निष्पादित करता है तो वृक्ष का अधिकारी, जब भी अपेक्षित हो अभिगृहीत वस्तु को पेश करने के लिए अभिगृहीत संपत्ति को निर्मुक्त कर सकेगा।

5. अधिहरण की गई संपत्ति का व्ययन -- वृक्ष अधिकारी, अधिहरण की गई संपत्ति के व्ययन के लिए अधिकारिता रखने वाले प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को आवेदन करेगा। आवेदन में अधिहरण की गई संपत्ति के ब्यौरे तथा अधिहरण का आदेश अंतर्विष्ट होंगा।

6. अपराध शमन करने की शक्ति -- यदि अपराधी, अपराध का शमन करने के लिए लिखित में सहमत हो जाता है और वृक्ष अधिकारी का भी यह समाधान हो जाता है कि न्यायालय में चालान के लिए मामला ठीक नहीं है तो वह उस अपराध के संबंध में, जिसे ऐसे व्यक्ति द्वारा किए जाने का संदेह हो, ऐसी शास्ति अधिरोपित करके, जो रु. 5000/- प्रति वृक्ष से अधिक न हो, अपराध का शमन कर सकेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त, उपज का मूल्य भी वसूल किया जाएगा और अभिगृहीत संपत्ति तथा व्यक्ति, यदि अभिरक्षा में है, निर्मुक्त किए जाएंगे।

[1][**7. वसूल की गई रकम को जमा करने का ढंग** -- इस नियम के अधीन वसूल की गई कोई रकम नगरीय क्षेत्र में स्थापित यथास्थिति, नगरपालिक निगम या नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत के कोष में जमा की जाएगी।]

प्ररूप-एक

(अधिनियम की धारा 6 (1) देखिए)

वृक्षों को काटकर गिराने की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र का प्ररूप

(आवेदन दो प्रतियों में स्वयं प्रस्तुत करें)

रजिस्ट्रीकृत

प्रति,

वृक्ष अधिकारी
नगरीय क्षेत्र ....
जिला ....
मध्यप्रदेश।

विषय :- ...... नगरीय क्षेत्र में वृक्ष (वृक्षों) को काटकर गिराने की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन।

महोदय,

मैं .... (आवेदक का नाम) आयु .... वर्ष .... निवासी .... (पता) .... मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, 2001 की धारा 6(1) के उपबंधों के अधीन ऊपर वर्णित स्थल पर वृक्ष (वृक्षों) को काटकर गिराने के लिए एतद्द्वारा, आवेदन प्रस्तुत करता हूं, ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

1. आवेदक का नाम : ....
2. पिता/पति का नाम : ....
3. आवेदक का पता : ....
4. टेलीफोन : ....
5. ई-मेल यदि हो : ....

1. मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 19-8-2003 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 38-एफ-1-52-03-18-3 दिनांक 19-8-2003 द्वारा अन्त:स्थापित।

6. उस वृक्ष (वृक्षों) की अवस्थिति, जिनका काटकर गिराया जाना अपेक्षित है।

मकान/प्लाट/क्रमांक..........
मार्ग..........................
कालोनी........................
खसरा क्रमांक....................
पटवारी हल्का क्रमांक............
नगरपालिका, वार्ड क्रमांक.......
जिला..........................

7. वृक्ष (वृक्षों) का ब्यौरा : ....
(क) वृक्षों की संख्या गोलाई सहित : ....
(ख) जाति : ....
(ग) वृक्ष (वृक्षों) की दशा कथित करें (क्या वृक्ष मृत, मरणासन्न, रोगग्रस्त, मृतप्राय, टूटे हुए, बिजली से प्रभावित, हवा से उखड़े हुए, जड़ से उखड़े हुए, अस्वस्थ, अर्द्ध स्वस्थ, स्वस्थ आदि है) : ....

8. उन कारणों को ब्यौरेवार कथित करें, जिनसे आवेदक वृक्ष (वृक्षों) को काटकर गिराना चाहता है : ....

9. क्षति पूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि के ब्यौरे :-
(क) स्थल की अवस्थिति (मकान/प्लाट क्रमांक, मार्ग, कालोनी राजस्व निरीक्षक वृत्त (सर्किल) क्र. पटवारी हल्का क्र. तहसील, जिला एवं वार्ड क्र.) : ....
(ख) रोपण हेतु उपलब्ध क्षेत्र : ....
(ग) भूमि का नक्शा संलग्न करें : ....
(घ) यदि आवेदक भूमि स्वामी न हो तो भूमि स्वामी की लिखित सहमति संलग्न करें : ....

10. भूमि के स्वामित्व की प्रकृति (भूमिस्वामी पट्टा, लीज, अभिधृति आदि) : ....

11. यदि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है तो आवेदक की रु. 500/- प्रति वृक्ष अभिदाय करने हेतु रजामंदी : ....

12. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गए दस्तावेज विनिर्दिष्ट करें : ....

(क) ....   (ख) ....
(ग) ....   (घ) ....
(ङ) ....   (च) ....

13. फीस के भुगतान के ब्यौरे :
(रसीद, डिमांड ड्राफ्ट, चालान आदि संलग्न करें)

क्रमांक ....
बैंक/कोषाध्यक्ष..........................
राशि रुपए.............................

वचनबंध

मैं,..........पुत्र/पत्नी..........आयु..........वर्ष, स्थाई निवासी .... एतद्द्वारा शपथ लेता हूं कि इस आवेदन-पत्र में दी गई विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सत्य हैं तथा उसमें किसी भी बात को छिपाया नहीं गया है और न ही विकृत कर प्रस्तुत किया गया है।

मैं यह और पुष्टि करता हूं कि मैं क्षतिपूरक वृक्षारोपण करुंगा तथा उसका अनुरक्षण करुंगा, जैसा कि वृक्ष अधिकारी द्वारा मुझे अनुज्ञा प्रदान करते समय बतलाया गया है।

अथवा

मैं यह पुष्टि करता हूं कि वृक्ष अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार रुपए .... का अभिदाय क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु करुंगा।

हस्ताक्षर ....

आवेदक का नाम ....

पता ....

कार्यालय उपयोग हेतु

1.	मामला क्रमांक	:	....
2.	प्राप्ति की तारीख तथा समय	:	....
3.	आवेदक को जारी की गई अभिस्वीकृति क्रमांक	:	....
4.	सहायक वृक्ष अधिकारी/वार्ड अधिकारी को जांच हेतु भेजा गया	:	....
5.	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने की तारीख	:	....
6.	वृक्ष अधिकारी का विनिश्चय	:	....
7.	आदेश की तारीख एवं जावक क्रमांक	:	....

(अनुभाग प्रभारी)

प्ररूप-दो

(नियम 4 देखिए)

प्रतिभूति बंधपत्र

मैं.........(नाम) पुत्र श्री..........आयु....वर्ष....... स्थाई निवासी............एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि (संपत्ति के ब्यौरे)........मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, 2001 की धारा 10 के उपबंधों के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा अभिगृहीत की गई है। मैं..........प्रश्नाधीन भूमि का स्वामी हूं और मैंने वृक्ष अधिकारी से उपरोक्त संपत्ति का कब्जा ले लिया है और मैं अभिगृहीत की जंगम संपत्ति को अनुसंधान अधिकारी/न्यायालय के समक्ष, जब भी अपेक्षित हो, पेश करने के लिए एतद्द्वारा अप्रतिसंहरणीय बंधपत्र प्रस्तुत करता हूं।

(अभिसाक्षी)

सत्यापन

मैं.........(नाम) पुत्र श्री..........आयु.......वर्ष.........स्थाई निवासी........................ एतद्द्वारा सत्यापित करता हूं कि इस बंधपत्र की अंतर्वस्तुएं मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं ज्ञान के अनुसार सत्य हैं तथा कोई भी बात बंधपत्र में छिपाई नहीं गई है। मैं पुनः सत्यापित करता हूं कि मैं इस बंधपत्र की शर्तों द्वारा आबद्ध हूं।

(अभिसाक्षी)

*स्टाम्प अधिनियम के उपबंधों के अनुसार स्टाम्प पेपरों पर निष्पादित किया जाना है तथा इसका सत्यापन नोटरी पब्लिक/शपथ आयुक्त द्वारा किया जाना है।